

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या:- ३५०१ FP/UK/ROAD/10131/2015. देहरादून:दिनांक: २५ मई, 2016

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय—एफ०आर०आई०, देहरादून।

विषय:- जनपद चमोली में प्रस्तावित पोखरी—काण्डाई मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 7.35 हेठो वन भूमि का लोक निर्माण निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। FP/UK/ROAD/10131/2015.

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उपर्युक्त सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में निदेशक/वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर का पत्रांक 2178/12-1 दिनांक 19-12-2015 द्वारा बिन्दुवार सूचना उपलब्ध करायी गयी है, जिसे प्रकरण पर अग्रेतर कार्यवाही हेतु निम्नानुसार प्रेषित किया जा रहा है :—

- वन अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण—पत्र संलग्न है।
- मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है।
- क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को पैच में प्रदर्शित किया गया है। (संलग्न)
- एन०पी०वी० का आगणन सही किया गया है तथा पार्ट ॥ में सुधार किया गया है। (संलग्न)
- प्रस्तावक विभाग द्वारा परियोजना की लागत एवं लाभ का विश्लेषण दिया गया है। (संलग्न)

संलग्न:—यथोपरि।

भवदीय,
fepd
✓ (एस०टी०एस० लेखा)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी



कार्यालय निदेशक / वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर



Email dirndbr-forest-uk@nic.in Off. Ph.&fax 01372252497

पत्रांक— २१७४ / १२-१

दिनांक

०९ दिसम्बर

2015.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कॉलोनी देहरादून।

विषयः— जनपद चमोली में प्रस्तावित पोखरी-काण्डई मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 7.35 है० वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव।

सन्दर्भः— E.D.S. रिपोर्ट।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग के सम्बन्ध में वांचित E.D.S. रिपोर्ट, उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर के पत्रांक 2001/12-1, दिनांक 02.12.2015 (संलग्न) से इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है। अतः विन्दुवार वांचित सूचना निम्नानुसार हैः—

1. वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।
2. मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है।
3. क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को पैच में प्रदर्शित किया गया है। (संलग्न)
4. एन.पी.वी. का आगणन सही किया गया है। तथा पार्ट II में सुधार किया गया है। (संलग्न)
5. प्रस्तावक विभाग द्वारा परियोजना की लागत एवं लाभ का विश्लेषण दिया गया है। (संलग्न)

संलग्नः— यथोपरि।

भवदीय,

(एस०एस० रसाइली)
निदेशक / वन संरक्षक
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व,
गोपेश्वर।

कार्यालय उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।
Office of Deputy Conservator of Forests, Kedarnath Wildlife Division, Gopeshwar.

Phone / Fax No-01372252149

Email- dfo.kedarnath.cml@gmail.com

पत्रांक:- २०० | / १२-१ गोपेश्वर, दिनांक ०२ दिसम्बर २०१५
सेवा में,

निदेशक / वन संरक्षक,
नन्दादेवी बोयोस्फियर रिजर्व,
गोपेश्वर।

विषय:- पोखरी काण्डडई मोटर मार्ग के सम्बन्ध में
महोदय,

उपरोक्त विषय के कम में अवगत करना है कि E.D.S प्रपत्र के कम में बिन्दुवार सूचना निम्नवत है:-

- 1- प्रस्तावक विभाग द्वारा वन अधिकार अधिनियम का प्रमाण पत्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है। (संलग्न)
- 2- प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न की गई है। (संलग्न)
- 3- क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को पैच में प्रदर्शित किया गया है। (संलग्न)
- 4- एन०पी०वी० को आगणन सही किया गया है, तथा पार्ट ॥ में सुधार किया गया है। (संलग्न)
- 5- प्रस्तावक विभाग द्वारा दर विश्लेषण उपलब्ध कराया गया है। (संलग्न)

संलग्न :- यथोपरि।

भवदीय,

उप वन संरक्षक,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

।। वित्त पं. ।।

(उन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector, Chamoli

No.

Dated 13/02/2015

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 5th August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 9.8 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of PWD Pokhari (PMGSY), Uttarakhand for Construction of Pokhari-Kandai Motor Road under PMGSY in Chamoli district falls within jurisdiction of Gugli, Sarnachain, Dhamak, Kaafalpaani, Bhatai, Trishula villages in Pokhari Tehsil.

It is further certified that:

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 9.8 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to annexure II.
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

G. Mall

तहसीलदार
तहसील पारम्परी
जिला चमोली

B. B. Singh
अधिकारी वनाधिकारी
अस्तन नं. ८५ पुर्ण वन विभाग
मार्गश्वरा

M. K. Jaiswal
शह. लिंग निवारी
पुर्ण वन विभाग

S. K. Singh
प्रभागीय वनाधिकारी
पुर्ण वन विभाग

✓
जिलाधिकारी
चमोली

F.S.C.I

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT CHAMOLI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli district (Uttarakhand), constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Shri Ashok Kumar (IAS) District Megistrate, Chamoli (Uttarakhand) on 30/01/2015 at Chamoli in which the application claiming rights in villages Nail, Nauli of Tehsil Pokhari, Chamoli, area measuring 9.8 hectare Forest land for the construction of Pokhari-Kandai Motor Road Under PMGSY of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Pokhari Tehsil were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Gopeshwar

Dated: 13/02/2015

N

District Megistrate-cum-Chairman
District Level Committee

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत पोखरी-काण्डई मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी पोखरी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति पोखरी

उपखण्ड पोखरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत पोखरी-काण्डई मोटर मार्ग के अन्तर्गत (4.20 हेठले एवं सोयम वन भूमि 3.15 हेठले वन पंचायत भूमि
क्षेत्र कुल 7.35 हेठले वन भूमि) का ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य
वनवासी वनजाति (इन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील पोखरी) की दिनांक 17/01/2015 को

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड
स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री/ श्रीमती श्री. एस. नगर उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की
बैठक में अध्योजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

क्रमांक	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1	श्री/ श्रीमती श्री. एस. नगरी	उपजिलाधिकारी - अध्यक्ष	✓
2	श्री/ श्रीमती विवरज सिंह नेहरी	वन क्षेत्राधिकारी-सदस्य	✓
3	श्री/ श्रीमती वी. वी. रामा	सहायक समाज कल्याण अधिकारी/ ए.वी. डी.ओ. - सदस्य	✓
4	श्री/ श्रीमती विवेक लेखा	क्षेत्र पंचायत सदस्य -सदस्य	विवेक
5	श्री/ श्रीमती विवरजनी देवी	क्षेत्र पंचायत सदस्य -सदस्य	विवरजनी
6	श्री/ श्रीमती विवरजनी देवी	क्षेत्र पंचायत सदस्य -सदस्य	विवरजनी देवी

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।
उपखण्ड सदस्यों को अवगत कराया गया कि पोखरी-काण्डई मोटर मार्ग परियोजना हेतु 7.35 हेठले वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के
एवं वन अधिकार समिति से पारित प्रस्ताव के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है।
उपखण्ड सदस्यों को संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।
उपखण्ड सदस्यों को अनुशंसा की गई है। इस संबंध में ग्राम सभा/ पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा रही है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड पोखरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत पोखरी-काण्डई मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 7.35 हेठले वन भूमि
एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/ अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-पोखरी
प्राप्तकर्ता

विलाधिकारी चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/ अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-पोखरी कार्यालय
जिलाधिकारी

विन्दु नं० ३

२.१०

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना के अन्तर्गत पोखरी-काण्डई मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव :-

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिह्नित ~~देवताम्~~ स्थल वृक्षारोपण हेतु सर्वदा उपयुक्त है।

—२६—
क्षेत्र अधिकारी
पोखरी

प्रभावोन्तरी
प्रभागीय वनाधिकारी प्रभा
गोपन्दर

क्षेत्र अधिकारी
वनाधिकारी
माननाथ रेज

क्षेत्र अधिकारी
वनाधिकारी
माननाथ रेज

ठिक्की ४
२६

परियोजना का नाम:- जनपद घमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पोखरी-काण्डई मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव :-

एन०पी०पी० की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित विया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या ५-३/२००७-एफ०सी० दिनांक ०५-०२-२००९ में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन०पी०पी० की देयता निम्नानुसार है :-

1. ईको-वलास द्वेषी - V
2. हरियाली का धनत्य - १२.६
3. एन०पी०पी० की दर प्रति हेतु - Rs. ८४५००० - ९३९०००
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल - ७.३५ हेतु
5. कुल देय एन०पी०पी० की धनराशि - Rs. ६२१०७५०.०० - ६९०१६५०.००

उप वन संरक्षक
केवरनाथ वन्य जीव प्रबाल
गोपेश्वर

शून्य देवी अधिकारी
पोखरी शहरे-

२८/१०७ वनस्पति का नी
अ. प्रसारित विधिकारी, पर्यावरण
मंत्रालय।

श. भाग्य देवी अधिकारी
वनस्पति भूमि प्राक्षय यन्मुख्य
गोपेश्वर।


३/१

~~Page 3~~

क्षमित्यक वृत्तारोपण द्वारा द्वारा द्वारा द्वारा द्वारा द्वारा द्वारा

卷六 1922年 2月 6日

~~20~~ 21st Feb ad 1960 35
v. good



(प्राप्त करने की सारिय नोडल अधिकारी द्वारा भरी जानी है)

'प्रस्ताव की राज्य दम संख्या -

(प्राप्ति की लिखि के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

दम - 2

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या -

7- परियोजना/रकीम का स्थान - जलपट-विशेषज्ञ में प्रबन्ध अधिकारी के अन्तर्गत प्रेस्ट-लाइंड

(1) राज्य/संघ सासित क्षेत्र - उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड

चमोली

(2) जिला - चमोली

(3) वन प्रभाग - केंद्राखण्ड वन्यजीव प्रभाग गोपेश्वर (चमोली)

(4) वनेतर भूमि प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टर) 14.70 हेक्टर

(5) वन की कानूनी विधियाँ - उत्तराखण्ड

(6) हरियाली धनत्य

(7) प्रजातिवार (विज्ञानिक नाम) और परिधि/थेणीदार वृक्षों की

परिवर्णना (संलग्न की जाय)। सिंधाई जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफआरएल. - 2 मीटर पर परिवर्णना और एफआरएल.

- 4 मीटर पर संलग्न किये जायें

(8) (1) भूम्भरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी

प्रस्तावित छोप्र में भूम्भरण की सम्भावना नहीं है, और वैज्ञानिक की आळमा संलग्न,

(2) वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि वन क्षेत्रफल (हेक्टर में)

नहीं

(9) वया कार्य राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अन्यारण्य, जैव निष्ठल रिजर्व, वाय रिजर्व, हाथी कोरिडोर आदि का भाग है (यदि हां क्षेत्र का व्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबन्धित ही जाय)

नहीं

(10) वया क्षेत्र में वनस्पति और प्राणीजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती हैं। यदि हां/तो तत्स्थिति व्यौरा दें।

नहीं

(11) वया कोई चुरस्ति पुरातत्वीय/पौराणिक रथल/रथा

प्रतिष्ठान और कोई अन्य भूतवृण्ड स्मारक क्षेत्र में रिहत है। यदि हां तो तत्स्थिति व्यौरा समाप्त प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।

वनपेन्चाशन व सिविल वन भूमि न्यूनता उभी भूमि प्रस्तावित हैं, व्यौलुंठ के अन्तर्गत निर्भीव करवाया जाएगा,,

8- प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा भाग-1 कलम 2 में प्रस्तावित वन भूमि

नहीं

की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहर्य और भूमतम है

यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के बीचों के साथ मटवार संस्कृत

क्षेत्र वया है।

9- वया अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है

(हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषों अधिकारियों पर की

गई कार्यवाही राहित कार्य का व्यौरा दें वया उल्लंघन सम्बन्धी

कार्य अभी भी चल रहे हैं।

10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्यौरा -

(1) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिधारित वनेतर

क्षेत्र/अक्षक्षेत्र वन क्षेत्र, आसपास के वन से इसकी दूरी

भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार

(2) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिधारित वनेतर

क्षेत्र/अक्षक्षेत्र वन क्षेत्र, आसपास की वन सीमाओं को दर्शाता

है।

(1) प्रतिपूरक वनीकरण रक्काम के लिये कुल दित्तद परिवय — संलग्न

(2) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनियंत्रित क्षेत्र की उपयुक्तता
के घार में और प्रवचकीय दृष्टिकोण से सहग प्राधिकरण से प्रमाण
पत्र (सम्बन्धित उपकरण संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित प्रिया जाथ)

— प्रस्ताव के साथ प्राकलन
संलग्न

11— जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषता
उपयुक्त पाराम 7, 8, 9 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते
हुये संलग्न करे।

संलग्न

12— जिला/जिलाप्रोफ़ाइल :-


- (1) जिला का भौगोलिक क्षेत्र — ४०३० कर्नि कि. मी.
- (2) जिले का वन क्षेत्र — ५०६१.१००२ कर्नि कि. मी.
- (3) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया
कुल क्षेत्र — १५ मामले ८४३.०० एकड़
- (4) 1980 से जिला/प्रमाण में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण
- (5) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि — रिक्त
- (6) वनेतर भूमि पर — रिक्त
- (7) २०१३ तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति
- (8) वन भूमि पर — रिक्त
- (9) वनेतर भूमि पर ८४३.०० एकड़

13— प्रस्ताव को स्वीकृत वरने अथवा प्रस्ताव के अन्यथा लेने के
सम्बन्ध उपकरण संरक्षक की विशेष सिफारिश

संस्कृति की ओरीष्य

तिथि — 26.03.2015.

स्थान — गोपेश्वर


 उप वन्मुक्तावक
 केदारनाथ वन्य जीव प्रमाण
 (नाम _____ गोपेश्वर _____)
 सरकारी मोहर

१५६.१८

(5.00 हें वे अधिक के प्रवर्तनों में लागू)
Cost Benefit Ratio calculation Performa

12

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पोखरी-काण्डई मोटर रार्फ निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव :-

Block:- Pokhari

District:- Chamoli

SL. No.	Particulars	Amount in lakhs
1	Total cost (Investment incurred)	747.58 Lakh
(A)	Construction cost of the project	695.95 Lakh
(B)	N.P.V. Amount to be deposited @ --- lakh /ha	Rs. 8.45 Lakh/ha So for 7.35 ha = Rs.62.10 Lakh
(D)	Substitute/Alternative Plantation Cost to be Deposited:-	56.55 Lakh
(E)	Other cost if any	-
	Grand Total	Rs. 814.60 Lakh
2	Benefits :- Benefits from Road considering age of road as 50 years	
2.1	Direct Economic Benefits Economic benefits market development - 10 shops are established due to construction of road. Considering minimum benefits from each shop as 380 Rs /day. Benefits :- Per Month = $10 \times 380 \times 30 = \text{Rs.} 114000$ Per year = $12 \times 114000 = \text{Rs.} 1368000$ $50 \text{ year} = 50 \times 1368000 = \text{Rs.} 68400000$ Total direct benefits	684.00 Lakh 684.00 Lakh
2.2	Social Benefits Direct Employment of Labours Taking 8 people Each people Per Month@ Rs.7500.00 Benefit for 1 year = $7500 \times 8 \times 12 = \text{Rs.} 720000$ benefit for 50 year = $50 \times 720000 = \text{Rs.} 36000000$ Total social benefits	360.00 Lakh 360.00 Lakh
2.3	Ecological Benefits Tourism - Employment Benefits for 50 year = $1.5 \times 8 \times 50 = \text{Rs.} 600 \text{ Lakh}$ Total ecological benefits	600 Lakh 600 Lakh
	Total Benefits	1644.00 Lakh

अधिकारी आमदानी
दिनांक १०/१०/२०१४
संस्कृति एवं सामाजिक कार्यालय

राज सेवा नियोगी कार्यालय
दिनांक १०/१०/२०१४

प्रभागीत वनाविकारी १३/१०/२०१४

विवेक

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सङ्कर योजना के अन्तर्गत पोखरी-कामडई मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन मूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव :-

Parameter for Evaluation of Benefit, notwithstanding loss of Forests

Sl.no.	Parameters	Details
1	Increase in productivity attributable to the specific project.	First Aid medical Kit 100 pec @ Rs.1300 = 130000.00
2	Benefits to economy	About 1.5 Lakh per year due to milk production, potato, apple and other vegetables and other fruits.
3	No. of population benefited.	893
4	Employment potential.	This project will employ 30 permanent and 940 temporary labourers.
5	Cost of acquisition of facility on non forest land wherever feasible.	Nap land 2.45 hectares Cost = Rs. 2205000.00
6	Loss of (a) agricultural & (b) animal, husbandry production due to diversion of forest land.	Nil
7	Cost of rehabilitating the displaced persons as different from compensatory amounts given for displacement.	Nil
8	Cost of supply of free fuel-wood to workers residing in or near forest area during the period of construction.	Kerosene oil/gas connection service available in the area, dry fuel wood will be sufficient from nearby area.
9	Medical Parameter	In case of any accidents or any medical emergency the population of the village will get medical facility in minimum duration.
10	Education Parameter	The childrens who should got for agricultural activities instead of going schools will get reduced and may go to the nearby colleges and universities for acquiring higher education.

MPB

SS
P.E

अधिकारी वन विभाग
निर्माण उपयोग वन विभाग
प्रभागीय वनाधिकारी
प्रयोक्ता-पर्यावरणी

इन विवर अधिकारी
पोषण विभाग

पर्यावरण वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
पर्यावरण वन विभाग
पर्यावरण वन विभाग

पर्यावरण वन विभाग
पर्यावरण वन विभाग

क. पर्यावरण वनाधिकारी
अपन वन विभाग वन विभाग
पर्यावरण वन विभाग

नहीं
मानवान्

1.11 फॉर्म बैक

परियोजना का नाम:- जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना के अन्तर्गत पोखरी-काण्डई मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव :-

Parameter for Evaluation of loss of Forests

Sl.no.	Parameters	Details
1		3
1	Loss of Value of timber, fuelwood and minor forest produce on an annual basis, including loss of man hours per annum of people who derived their livelihood and wage from the harvest of these commodities	Nil
2	Loss of animals husbandry productivity including loss of fodder	Nil
3	Cost of human resettlement	Nil
4	Loss of public facilities and administrative infrastructure (Roads, Buildings, Schools, Dispensaries, Electric lines, Railways etc.) on which would require forest land if these facilities were diverted due to the project.	Nil
5	Environmental losses;(Soil erosion, effect on hydrological cycle, wildlife habitat, microclimate upsetting of ecological balance.)	Nil
6	Suffering to oustees	Nil

MP2

अधिकारी अधिकारी
नियंत्रण वन विभाग
प्रयोगशाला एजन्सी

—f.

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी

MP1
एनसीआर वनाधिकारी
नागरिक रेज

वन प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी